

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2018 / जी-8

जयपुर, दिनांक : 26.11.2018

आदेश


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 24426 / 2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.11.2018 की पालना में मा. उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान संयुक्त निदेशक, जोन अजमेर के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए डा. वन्दना चौधरी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त निदेशक, जोन अजमेर के पद से उप निदेशक, जोन अजमेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 24426 / 2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.11.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावे।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी / रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव